

1. अधीलान्त द्वारा दिनांक 23.06.2020 को यह अधील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट 1956 आजा संपत्त, ग्राम पंचायत विकसना बाबत नामान्तरकरण संख्या 417 दिनांक 06.10.2018 इस आशय की पेश की गई है कि अधीलान्त के नामान्तरकरण में शिव कुमार व योगेन्द्र सिंह दर्ज कर दिये हैं। अधीलान्त के बाबा की बेदरिया वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काष्ठकार थे, जिनका देहान्त होने के बाद उनके बालिदान धार पुत्र करनपाल, चरनसिंह, प्रेमसिंह, गजधर व एक पुत्री सोनदेई हैं, लेकिन गजधर का देहान्त पिता बेदरिया के देहान्त से काफी पहले हो जाने के कारण गजधर के स्थान पर, गजधर के छ: बालिसानों के नामान्तरकरण दर्ज हुआ। गजधर के बालिसान तीन पुत्र भूपसिंह, रवीकुमार, चोन्सिंह, दो पुत्री लक्ष्मी व श्रीमति व पति सन्ता थे। बेदरिया के बालिसानों के बालिदान करनपाल पुत्र बेदरिया 1/5 हिस्सा, चरनसिंह पुत्र बेदरिया 1/5 हिस्सा, प्रेमसिंह पुत्र बेदरिया 1/5 हिस्सा, सोनदेई पुत्री बेदरिया 1/5 हिस्सा एवं बालिसानों का हिस्सा 1/5 के स्थान पर गजधर के उपरोक्तानुसार छ: बालिसानों का प्रत्येक का हिस्सा 1/30 के खातेदार दर्ज हुये थे। अधीलान्त जो विवादग्रस्त अधीलान्त में प्रत्येक 1/30 के हिस्सेदार थे, उनका नाम शिवकुमार व योगेन्द्र सिंह लिख दिया गया है, जो रिकॉर्ड के लिफ्ट हैं तथा कालिब दुरुस्ती हैं। अधीलान्त

**आदेश**

दिनांक - 19.02.2021

जिला भरतपुर(राज)  
 दौलतपुर ग्राम पंचायत विकसना तहसील व  
 संख्या 417 दिनांक 06.10.2018 ग्राम तक  
 राजस्व अधिनियम बाबत दाखिला खातिज  
 प्रथम अधील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू

रेफरेंस

1. राजस्थान सरकार जसिये तहसीलदार भरतपुर।
2. संपत्त, ग्राम पंचायत विकसना, तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

**बनाम**

अधीलान्त

1. रवी कुमार, व योगेन्द्र सिंह पुत्रान गजधर जालि जाटव निवासी ग्राम विकसना तहसील व जिला भरतपुर (राज.)

अधील संख्या - 04/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर  
 पीठासीन अधिकारी - दामोदर सिंह ( R.A.S. )

राजस्थान सरकार



नखर व न  
 अहकाम व  
 हुस की न  
 में जारी है



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर

दा.मा.दर.सिंह (R.A.S.)

5. रवि कुमार की साथ में प्रस्तुत दरस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र, आवार काल्ड, राशन काल्ड, भागशाह काल्ड एवं शैक्षणिक दरस्तावेज कक्षा 8 वीं की काल्ड परीक्षा की अंकतालिका में रवि कुमार पुत्र गजधर अंकित है। जोगेन्द्र सिंह की साथ में प्रस्तुत दरस्तावेज आवार काल्ड, जनआधार काल्ड, राशन काल्ड, भागशाह काल्ड, पैन काल्ड एवं मतदाता पहचान पत्र में जोगेन्द्र सिंह पुत्र गजधर काल्ड है। उक्त सभी दरस्तावेज से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त का सही नाम रवि कुमार एवं जोगेन्द्र सिंह है। नामान्तरकरण में रवि कुमार एवं जोगेन्द्र सिंह के स्थान पर रवि कुमार एवं जोगेन्द्र सिंह गलत नाम दर्ज कर दिया गया है। अपीलान्त को बिना सूने हुए नामान्तरकरण पर आज्ञा पारित की गई है। नामान्तरकरण पर पारित आज्ञा संप्रथम ग्राम पंचायत विकसना निरस्त योग्य है। नामान्तरकरण की पुनः निर्णय हेतु प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को प्रति प्रेषित किया जाने के योग्य है।

अतः आज्ञा है कि -

अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण नं. 417 दिनांक 06.10.2018 ग्राम काल्ड भरतपुर ग्राम पंचायत विकसना की आज्ञा निरस्त की जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्त को पूर्ण सैनवाड़े व साथ का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय हेतु प्रकरण तहसीलदार आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को पारित हेतु भेजी जावे।

दिनांक 19.02.2021 को भरे द्वारा लिखाया जाकर खले न्यायालय में

भरतपुर  
उपखण्ड अधिकारी  
(दा.मा.दर.सिंह, R.A.S.)